न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—154 / 2017 / 223 (2017 / 00154)

1. श्रीमती हरली पत्नी स्व0 नरेश कुमार पुत्रवधु स्व0 रोडा, जाति लोधा, नि0 हनुमान चौक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 रोडा पत्नी स्व0 मानक, जाति लोधा, निवासी मुकेरी मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती हीरादेवी पुत्री स्व0 रोडा पत्नी स्व0 सोहनलाल, नि0 लोधों की गली, सांगानेरी गैट, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर ।
3. छोटे लाल पुत्र स्व0 रोडा, जाति लोधा (स्वर्गवास) जरिये वारिसानः—
   3 / 1— श्रीमती चम्पा देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल (फौत—नाम तर्क)
   3 / 2— हुकमसिंह पुत्र स्व0 छोटेलाल,
   3 / 3— केशव पुत्र स्व0 छोटेलाल,
   समस्त जाति लोधा, निवासी हनुमान चौक, इक्का सराय, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
   3 / 4— श्रीमती रेणु पत्नी जगमोहन पुत्री स्व0 छोटेलाल, जाति लोधा, निवासी चांद बावड़ी, लोधो का बाड़ा, केसरगंज, अजमेर ।
4. छोटू लाल पुत्र रोडा, जाति लोधा, निवासी हनुमान चौक, नसीराबाद, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. शिलू कुमार पुत्र नरेश कुमार, जाति लोधा, नि0 हनुमान चौक, नसीराबाद तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. अनुराधा पुत्री नरेश कुमार, जाति लोधा, नि0 गणेश टेकरी नाथद्वारा, हाल निवासी हनुमान चौक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
7. अमरचंद पुत्र रोडा, जाति लोधा, निवासी हनुमान चौक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
8. आनन्दी देवी पत्नी चांदमल, जाति लोधा, निवासी मुकेरी मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
9. गीता देवी उर्फ लाली पत्नी सोहनलाल, जाति जोधा, नि0 लोधा मौहल्ला गंगापोल, जयपुर, तहसील जयपुर हाल हनुमान चौक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
10. सरस्वती देवी पत्नी कानजी लोधा, (फौत) जरिये वारिसानः—
    10 / 1— जितेन्द्र पुत्र स्व0 कानजी जाति लोधा, नि0 लोधा मौहल्ला, गंगापोल, सूरजपोल गेट, जयपुर ।
    10 / 2— उषा पुत्री कानजी पत्नी मुकेश, जाति लोधा, निवासी वार्ड नं0 5 बीज गोदाम, बलाड़ रोड़, ब्यावर ।
    10 / 3— भूरी पुत्री कानजी पत्नी सुरेश, जाति लोधा, निवासी वार्ड नं0 5, बीज गोदाम, बलाड़ रोड़, ब्यावर ।
    10 / 4— रज्जो पुत्री कानजी, जाति लोधा, निवासी लोधा मौहल्ला, नसीराबाद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
11. भानी देवी पुत्री रोड़ा, पत्नी चोगानमल, जाति लोधा, नि0 लोधों की गली, सांगानेरी गेट, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर ।
12. उप पंजीयक, नसीराबाद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 19.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 43/2008.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. श्री महेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 10/2 एवं 10/3.
4. रेस्पो0 संख्या 1, 3, 4, 6, 7 से 10/1, 10/4 एवं 11 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12 व 13.

निर्णय

दिनांकः— 20.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध पेश किया जो दिनांक 31.3.2010 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्व अपील श्रीमती छोटी व अन्य बनाम छोटेलाल व अन्य प्रस्तुत की गई । उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र में आवश्यक पक्षकार श्रीमती तारादेवी पुत्री रोड़ा के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर दोनों पक्षकारों की सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिया जाकर पुनः वाद में निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली को राजस्व कैम्प दिलवाड़ा में रखी गई किन्तु इस संदर्भ में अपीलांट को राजस्व कैम्प में उपस्थित होने बाबत् कोई सूचना, नोटिस नहीं दिया गया । अधी0न्याया0 ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में राजीनामा का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के द्वारा कोई राजीनामा ही प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधी0न्याया0 ने जिस तथाकथित राजीनामा जो कि पारिवारिक समझौता दिनांक 6.10.2010 है, के आधार पर वाद डिक्री किया है जबकि अपीलांट अनपढ़ महिला है जिसे इसकी जानकारी नही है तथा न ही अपीलांट ने कभी भी इसे निष्पादित किया है । उक्त पारिवारिक समझौता धोखे व षड़यंत्र के तहत किया गया है जो कि अपंजीबद्ध है एवं साक्ष्य में विधिनुसार ग्राह्य नहीं है । इस कारण इस पारिवारिक समझौते के

आधार पर पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं है । उक्त पारिवारिक समझौते पर समस्त पक्षकार के हस्ताक्षर भी नहीं है । पारिवारिक समझौता पंजीयन अधिनियम के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक था । ऐसी स्थिति में तथाकथित अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई राजीनाम पेश नहीं किया गया था । वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 9 सरस्वती देवी का स्वर्गवास करीब चार वर्ष पूर्व हो चुका था जिसके वारिसान को वाद पत्रावली के रिकार्ड पर लिये बिना ही अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश व प्राथमिक डिक्री प्रंतिवादी संख्या 9 मृतक के विरूद्ध पारित की गई है । इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है । इसी प्रकार रोडा पुत्र प्रेमराज का स्वर्गवास सन् 1987 में ही हो चुका था ऐसी स्थिति में रोड़ा पुत्र प्रेमराज की पुत्रियां रेस्पो0 संख्या 1 व 2 एवं 8, 9 तथा 10 व 11 का विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक, अधिकार ही नहीं है कारण कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सिद्धांत के अनुसार पिता का स्वर्गवास सन् 2005 से पूर्व हो जाने पर पुत्रियों का पिता की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक ही नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस विधिक स्थिति को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अपीलाधीन भूमि के साथ ग्राम बारह पत्थर तहसील नसीराबाद स्थित भूमि भी है परन्तु ग्राम बारह पत्थर स्थित भूमि के संदर्भ में अधी0न्याया0 द्वारा कोई बंटवारा आदेश पारित नहीं किया गया ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रोडा पुत्र प्रेमराज जिनकी विवादित पत्नी श्रीमती मैना देवी के जीवन काल में ही श्रीमती गौरा देवी को रोड़ा के द्वारा लाया गया था। इस प्रकार श्रीमती गौरा देवी जो कि रोड़ा की नाजायज पत्नी है । रोड़ा द्वारा विवाहिता पत्नि के जीवनकाल में श्रीमती गौरा देवी का नाता किया जो कि विधि विरूद्ध है । इस कारण रेस्पो0 संख्या 2 हीरादेवी एवं रेस्पो0 श्रीमती भानी देवी जो कि गौरा देवी की पुत्रियां है जिनका विवादित भूमि में किसी प्रकार का विधि अनुसार हक व हिस्सा नहीं है । अधी0न्याया0 ने उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 9.6.2017 को अपीलाधीन भूमि पर आकर अपीलांट को धमकी दिये जाने पर दिनांक 9.6.2017 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को हुई । इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 12.6.2017 को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 13.6.2017 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2016 (23) पेज 679, आर0बी0जे0 2014 (21) पेज 472, आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 186, आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 601 एवं डी0एन0जे0 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 221 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 10/2, 10/3 एवं 2 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित

आराजियात के मूल खातेदार रोड़ा पुत्र प्रेमराज थे किन्तु नामांतकरण संख्या 119 दिनांक 23.6.1989 केवल रोड़ा के पुत्रों के नाम ही दर्ज किया गया जबकि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 एवं अन्य पुत्रियों के नाम रोड़ा की विरासत दर्ज नहीं की गई जबकि पुत्रियां का भी पिता की सम्पति में समान हक व अधिकार है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है जिससे अब अपीलांट इंकार नहीं कर सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट ने जानबूझकर अपील विलंब से पेश की है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट को बिना सुने एवं राजीनामे पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट में वाद को निर्णित किया है जबकि अपीलांट द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद बउनवान श्रीमती छोटी देवी व अन्य बनाम छोटे लाल व अन्य प्रस्तुत किया गया था जो निर्णय दिनांक 31.3.2010 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा ने निर्णय दिनांक 10.1.2011 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 31.3.2010 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वादपत्र में आवश्यक पक्षकार श्रीमती तारादेवी पुत्री रोड़ा के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर दोनों पक्षकारों को सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिया जाकर पुनः वादपत्र में निर्णय पारित करे किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा वाद को कैम्प कोर्ट में वादग्रस्त आराजियात के हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाये न्यायालय हाजा के निर्देशों को नजरअदांज कर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 1.6.2015 को पत्रावली को कैम्प दिलवाड़ा में दिनांक 19.6.2015 को नियत कर उभयपक्ष को लोक अदालत बाबत् नोटिस जारी करने के आदेश दिये है किन्तु पक्षकारान को कैम्प में उपस्थित होने बाबत् न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलबध नहीं है । इसी प्रकार अपीलांट का का कथन है कि प्रतिवादिया संख्या 9 सरस्वती देवी का वाद के विचाराधीन रहते स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके वारिसान को पत्रावली के रिकार्ड पर लिये बिना ही अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश व प्राथमिक डिक्री प्रतिवादी संख्या 9 मृतक के विरूद्ध पारित की है जिससे प्रतिवादिया संख्या 9 के विधिक वारिसान को अपनी प्रतिरक्षा में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । अधी0न्याया0 द्वार प्रकरण को कैम्प कोर्ट दिलवाड़ा में नियत करने के संबंध में पक्षकारों को नोटिस तामील नहीं करवाये जाने से अपीलांट को कैम्प कोर्ट की जानकारी नही हो सकी । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये जाने से वह अपना पक्ष अधी0न्याया0 के

समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई थी । अपीलांट की गैर मोजूदगी में पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का अधी0न्याया0 द्वारा पुनः परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6. 2015 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वादग्रस्त आराजियात के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को वाद में पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर